

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 24/2023-14 तारीख दायर :-23.08..2023 दिनांक निर्णय :-13.09.2023

पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान

भू0 राजस्व अधिनियम-1956


आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सकट द्वारा राजस्व ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.12 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता के भाग 0.01 है0 पर लकड़ियों डालकर अतिक्रमण करने पर कैलाश चन्द पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी उपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया है। नोटिस जवाब में अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण हटा लेने का अंकन किया है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबडा व पटवारी हल्का सकट की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा गै0मु0रास्ता राजकीय सिवायचक की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतिज्ञा होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री कैलाश चन्द पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम सकट के आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.12 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता के भाग 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबडा एवं पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 40 पर सि. च. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर